संख्या-22/2016/626 /35-3-2016-1(41)/2015

प्रेषक,

नवीन चन्द्र त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
खीरी।

नियोजन अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक: 10 मार्च, 2016**

विषय: वर्ष 2015-16 में बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत थारू शिल्प ग्राम मे निर्माण कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-खीरी में शासनादेश संख्या-65 /2015/1613/35-3-2015-1(41)/2015 दिनांक: 18 दिसम्बर, 2015 के द्वारा थारू शिल्प ग्राम मे 01 थारू हैरिटेज वर्क शेड, 10 थारू शिल्प विक्रय/ प्रदर्शन केन्द्र, 01 थारू शिल्प वस्त्र/प्रशिक्षण केन्द्र, 01 थारू रेस्टोरेन्ट,04 थारू हट, 01 थारू नृत्य संगीत केन्द्र, 10 सोलर स्ट्रीट लाईट, 01 थारू म्यूजियम कार्य हेतु रू. 124.02 लाख की लागत सहित प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप मे रू. 74.42 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। एतदद्वारा निम्नलिखित कार्यो की अनुमोदित लागत के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप मे अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष देय धनराशि रू.49.60 लाख (रू.उनचास लाख साठ हजार मात्र) को निम्न शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की, श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक: 18 दिसम्बर , 2015 की शर्ते यथावत लागू रहेगीं ।
2- जिलाधिकारी द्वारा द्वितीय किश्त कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व अपने स्तर से जिले के सक्षम अधिकारी से उक्त कार्यो हेतु प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यो की प्रगति एवं उनकी गुणवत्ता का भौतिक सत्यापन अवश्य कराया जायेगा।
3- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करवाया जायेगा।
4- इस शासनादेश से उक्त कार्य के लिये अनुमोदित लागत के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि का आवण्टन हो जाता है। कार्य को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत मे ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृध्दि अनुमन्य नही होगी ।
5- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 16-2015के आय व्ययक में अनुदान संख्या 40-आयोजनागत बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट-06-य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यअन्य-4575--14- य व्यअन्य-800 - कार्यक्रम हैरिटेज वर्क शेड, थारू शिल्प प्रशिक्षण केन्द्रविक्रय एवं /

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

वृहत निर्माण कार्य -24- वस्था व्यहट आदि के लिये एकमुश्त/नृत्य संगीत केन्द्र /प्रदर्शन केन्द्र के नामें डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 2/2015 बी -1 -925 / दस-2015 - 231 / 2015 दिनांक:30 मार्च,2015 मे प्रतिनिधानित अधिकारों के अर्न्तगत के जारी किये जा रहे है।

7-

भवदीय,

(**नवीन चन्द्र त्रिपाठी**)
विशेष सचिव।

<u>संख्या-22/2016/626(1)/ 35-3-2016-1(41/2015 तददिनांक</u>

प्रतिलिपि: निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन ।
2- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 शासन ।
3- मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल।
4- महालेखाकार, प्रथम(लेखा एवं हकदारी) इलाहाबाद, उ0प्र0 महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) इलाहाबाद ।
5- निदेशक, सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन , लखनऊ ।
7- अपर निदेशक, भूमि उपयोग परिषद को इस आशय से कि शासनादेश को विभागीय बेव साइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
8- कोषाधिकारी, खीरी ।
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5/ लोक निर्माण अनुभाग-9 ।
10- उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) लखनऊ मण्डल।
11- अर्थ एवं संख्याधिकारी, खीरी ।
12- राज्य योजना आयोग-।
13 - गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(**नवीन चन्द्र त्रिपाठी**)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।